GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ, 106] No.106] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2013/आषाढ़ 6, 1935

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 68

ς

DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2013/ASHADHA 6, 1935

IN.C.T.D. No. 68

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 27 जून, 2013

कमांक : 16. (4) / शा0वि0 / जल / 2012 / 398.—दिल्ली, जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 एवं 51 के साथ पित धारा 109 की उप धारा (2) के खण्ड (3) के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सक्षम प्राधिकारी दिनांक 08.04.2011 के आदेश के अनुसार बनाए गए दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली में चिकित्सक (जी.डी.ओ.) ग्रेड—II के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक निम्नलिखित भर्ती एवं पदोन्नित विनियगों को इसके द्वारा जन साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किये जाते हैं :--

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली में चिकित्सक (जी.डी.ओ.) ग्रेड-II पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नित विनियम:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्मः इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड में चिकित्सक (जी.डी.ओ.) ग्रेड—II पद के भर्ती एवं पदोन्नित दिनियम, 2013 कहा जाए।
- 2. अनुप्रयोग- ये इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पद के लिए लागू होंगे ।
- 3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार होंगे ।

2841DG/2013

- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा एवं अन्य योग्यताएं : उक्त पदों की भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं तथा इससे सम्बंधित अन्य गामले उद्धा अनुसूची के कालम 5 से 13 में उल्लिखित विवरण के अनुसार होंगे ।
- 5. **अयोग्यताएं :** कोई व्यक्ति
 - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति /पत्नी जीवित हो, विवाह कर लिया है, अथवा करार किया है, अथवा
- (ख) जिसने अपने पत्नी /पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है अथवा करार किया है; उपरोक्त किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा /होगी :

परन्तु दिल्ली जल बोर्ड यदि इस बात से संतुष्टं है कि ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है एवं इस विवाह को करने के लिए अन्य आधार भी हैं, किसी व्यक्ति को इस विनियम से मुक्त कर सकता है ।

- 6. नियमित सेवा : किसी भी ग्रेड में "नियमित सेवा" का अर्थ है उक्त ग्रेड में दीर्घ अवधि नियुक्ति के लिए निर्घारित प्रक्रिया के अनुसार चयन के द्वारा उक्त पद पर कार्यरत रहने की अवधि या अवधियां लेकिन उनके अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा ऐसे पद को संमालने के लिए उपलब्ध न होने की अवधि अथवा अवधियां भी सम्मिलित होंगी ।
- 7. शिथिलता प्रदान करने की शक्ति : जहां राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है, यह आदेश देकर, लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्ति को इन विनियमों के उपबन्धों में शिथिलता दी जा सकती है ।
- 8. बचावः इन विनियमों से अनुसूचित जाति / जन जाति, सेवानिवृत्त एवं अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए इस बारे में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षण एवं अन्य रियायतें प्रभावित नहीं होंगी ।
- 9. निरसन : दिल्ली प्रशासन की दिनांक 10—12—1991 की अधिसूचना संख्या एफ. 9/1/91— एल.एस.जी.— आर.आर./8667, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से अधिक्रमित हो जायेगी ।

'अनुसूची' चिकित्सक (जी.डी.ओ.) ग्रेड—II पद हेतु भर्ती नियम

1.	पद का नाम	1:	चिकित्सक (जी.डी.ओ.) ग्रेड—।।
2.	पदों की संख्या	:	17*(2012) परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है ।
3.	वर्गीकरण	1:	वर्ग "क"
4.	वेतन समूह तथा ग्रेड पे / वेतनमान	:	वेतन समूह-3, 15600-39,100 रुपये ग्रेड वेतन 5400 रुपये
5.	चयन अथवा गैर चयन	1:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु—सीमा	1:	35 वर्ष से अधिक नहीं ।
	_		टिप्पणी 1:
			(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेश/निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक के लिए शिथिलनीय । टिप्पणी 2: अन्यार्थियों की आयु-सीमा निश्चित करने के लिए भारत सरकार में प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से निर्णायक होगी। तथा असम, मेधालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रमाग, /हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला चम्बा जिले के पांगी उप-प्रमाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के लिए निधारित तिथि अंतिम तिथि नहीं।
7.	सीधी मर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	:	आवश्यक : 1. भारतीय चिकित्सा परिषद् नियम, 1956 की प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के दूसरे भाग में सम्मिलित कोई मान्य चिकित्सा योग्यताएं (लाइसेंस योग्यताओं के अलावा) !

,			
			तीसरी अनुसूची के दूसरे भाग में शामिल शैक्षणिक योग्यताएं रखने वालों भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्धारित शर्तों को पूरा करना चाहिए । 2. "रोटेटिंग इंटर्नशिप' अनिवार्य रूप से पूर्ण की हो । टिप्पण अनुवाद सुयोग्य — अन्यथा सुयोग्य प्रत्याशियों की स्थिति में योग्यताएं अभिलेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं । वांछनीयः मैट्रिक परीक्षा हिन्दी/संस्कृत विषयों सहित उत्तीर्ण की हो ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं वांछिक योग्यताएं पदोन्नित के मामले में लागू होंगी ।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		1 वर्ष
10.	भर्ती की पद्वति, क्या सीघी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्त /संविलयन द्वारा विभिन्न विधियों से पदों को भरे जाने का प्रतिशत ।	,	सीधी भर्ती द्वारा । प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले लम्बी रूग्णता : या अध्ययन अवकाश पर जाने से या अन्य परिस्थितियों के अन्तर्गत एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिए गए पवधारियों से हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार में समरूप पद धारक करने वाले और कॉलम ७ में नीचे सीधी भर्ती वाले प्रत्याशियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं रखने वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी
11.	पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / संविलयन द्वारा भर्ती के मामलों में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / संविलयन किया जाना है ।	;	लागू नहीं
12.	क्या विभागीय पदोन्नित समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है ?	:	वर्ग क' विमागीय पदोन्नित समिति (स्थायीकरण हेतु):— 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. सदस्य (प्रशासन) , दिल्ली जल बोर्ड — सदस्य 3. निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक), दि०ज०बो० — सदस्य
13.	वे परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है ?	;	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, एस. एस. राठौर, विशेष सचिव (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 27th June, 2013

No. F.16(4)/UD/W/2012/398.—The following Recruitment and promotion Regulations made by the Delhi Water Board under clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act No. 04 of 1998) vide Competent Authority orders dated 08.04.2011 necessary for appointment to the post of Doctor (GDO) Grade II in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published below for general information, namely:—

RECRUITMENT AND PROMOTION REGULATIONS FOR THE POST OF DOCTOR(GDO GRADE-II) IN DELHI JAL BOARD, DELHI

- 1. Short title and commencement.—These regulations may be called the Doctor (GDO) Grade II in Delhi Jal Board Recruitment and Promotion Regulations, 2013.
- 2. Application.—They shall apply to the post specified in column No. 1 of the schedule hereto annexed.
- 3. Number of posts, classification and scale of pay.— The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 5. Disqualifications .-- No person,---
 - (a) who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Delhi Water Board may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

- 6. Regular service.—"Regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in the grade, rendered after selection in accordance with the prescribed procedure of selection on long terms appointment to that grade and shall include any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such post.
- 7. Power to Relax.—Where the Government of National Capital Territory of Delhi is to the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order, for reasons to be recorded in writing, and consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 8. Saving.—Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- Repeal.—Delhi Administration's Notification F. 9/1/91-LSG-RR/8667 dated 10th December, 1991 shall be superseded from the date of this notification.

'SCHEDULE'
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DOCTOR (GDO) GRADE-II, IN DELHI JAL BOARD

Name of the post	No. of post	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay scale	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits	t Educational and other qualification required for direct recruits
Doctor (GDO Grade-II)	2 17* (2013) *Sub- ject to varia- tion depen- dent on work- load.	Category 'A'	4 PB-3, Rs. 15600- 39100 Grade Pay Rs. 5400	5 N.A.	Not exceeding 35 years. NOTE 1- Relaxable for Govt. servants and employees of Delhi Jal Board upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). NOTE 2- The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India, (and	7 Essential: (i) A recognized Medical qualification included in the first or second schedule or Part II of the third schedule (other than Licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the third schedule should fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Completion of compulsory rotating internship.
					Out	NOTE:-Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Desirable: Passed Matriculation Examination with Hindi/Sanskrit as a subject.

284124/13-2

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and % of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
Not applicable	9 1 Year.	By direct recruitment. NOTE.— Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers under Central Government holding analogous posts and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under Col.7.	Not applicable	Category 'A' DPC for Confirmation:— 1. Chief Executive Officer, Delhi Jal Board — Chairman 2. Member (Admn.), Delhi Jal Board — Member 3. Director (A&P), Delhi Jal Board — Member	Consultation with UPSC necessary on each occasion.

By Order and in the name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, S.S. RATHOR, Spl. Secy. (Water)